



प्रेषक,

कमलेश कुमार,
उप सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

पुलिस महानिदेशक/महानिरीक्षक,
कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवायें,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

कारागार प्रशासन एवं सुधार अनुभाग-2

लखनऊ: दिनांक 29 सितम्बर, 2026

विषय:- आदर्श कारागार लखनऊ में निरुद्ध सिद्धदोष बंदी महफूज आलम उर्फ वहीद पुत्र श्री अकबर अली उर्फ भगोले कुरैशी, निवासी जनपद-बहराइच की फार्म-ए/लाईसेंस के आधार पर समयपूर्व रिहाई के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक वरिष्ठ अधीक्षक(मु0), कारागार के पत्र संख्या-10576/प्रोवेशन-3-फार्म-ए/ (एम-09.03.2026) दिनांक-23.03.2026 का कृपया संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें।

2- उक्त पत्र द्वारा उपलब्ध कराये गये प्रस्तावानुसार आदर्श कारागार लखनऊ में निरुद्ध सिद्धदोष बंदी महफूज आलम उर्फ वहीद पुत्र श्री अकबर अली उर्फ भगोले कुरैशी, पूर्वी गेट दरगाह शरीफ के पास मो0 दरगाह शरीफ, थाना-दरगाह शरीफ, जिला-बहराइच का निवासी है। गलत काम करने से मना करने को लेकर दिनांक 07.06.2011 को बन्दी ने दुपट्टे से हाथ पैर बांधकर पेट्रोल डालकर रोजी नामक महिला की आग लगाकर हत्या कर दी। उक्त अपराध हेतु सिद्धदोष बन्दी को सत्र परीक्षण संख्या- 219/2011 में धारा-449, 326, 302 आई.पी.सी. में मा० विशेष न्यायाधीश ई०सी०एक्ट/अपर सत्र न्यायाधीश, बहराइच के आदेश दिनांक 29.05.2012 द्वारा आजीवन कारावास से दण्डित किया गया। मा० उच्च न्यायालय, इलाहाबाद के आदेश दिनांक 09.11.2017 द्वारा बंदी की अपील निर्णीत करते हुए आजीवन कारावास को यथावत रखा गया। बन्दी द्वारा दिनांक-10.07.2025 तक अपरिहार 14 वर्ष तथा 16 वर्ष, 11 माह, 03 दिन की सपरिहार सजा भोगी गयी है।

3- जिला प्रोबेशन अधिकारी, पुलिस अधीक्षक एवं जिला मजिस्ट्रेट, बहराइच द्वारा मा० उच्चतम न्यायालय द्वारा निर्दिष्ट 05 बिन्दुओं की आख्या में बंदी द्वारा भविष्य में अपराध करने का अवसर होने, पुनः अपराध करने में अशक्त नहीं होने, जेल में और आगे निरुद्ध रखने का सार्थक प्रयोजन होने के दृष्टिगत समयपूर्व रिहाई की संस्तुति नहीं की गई है।

4- प्रोबेशन बोर्ड का अभिमत है कि बन्दी द्वारा गलत काम करने से मना करने को लेकर दिनांक 07.06.2011 को दुपट्टे से हाथ पैर बांधकर पेट्रोल डालकर रोजी नामक महिला की आग लगाकर हत्या करने का जघन्य अपराध कारित किया है। जिला प्रोबेशन अधिकारी, पुलिस अधीक्षक एवं जिला मजिस्ट्रेट द्वारा स्थानीय स्तर पर वर्तमान परिस्थितियों का सम्यक परीक्षण कर माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा निर्दिष्ट 05 बिन्दुओं की आख्या में समयपूर्व रिहाई का विरोध किया गया है। प्रकरण से सम्बंधित ऐसा कोई तथ्य परिलक्षित नहीं है, जिसके आधार पर जिला प्रोबेशन अधिकारी, पुलिस अधीक्षक तथा जिला मजिस्ट्रेट की आख्या/संस्तुति के प्रतिकूल अवधारणा बनाई जा सके। इस प्रकार बन्दी द्वारा किये गये अपराध की गम्भीरता एवं जघन्यता के दृष्टिगत प्रिजनर्स रिलीज आन प्रोबेशन

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shasanadesh.up.gov.in> से सत्यापित की जा सकती है।

एक्ट 1938 की धारा-2 के अन्तर्गत सिद्धदोष महफूज आलम उर्फ वहीद पुत्र श्री अकबर अली उर्फ भगोले कुरैशी को फार्म-ए/लाईसेंस के आधार पर रिहा किये जाने की संस्तुति नहीं की गयी।

5- उपरोक्त वर्णित तथ्यों के परिप्रेक्ष्य में मुझे यह सूचित करने का निदेश हुआ है कि आदर्श कारागार लखनऊ में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दी महफूज आलम उर्फ वहीद (बन्दी संख्या-17422) पुत्र श्री अकबर अली उर्फ भगोले कुरैशी, निवासी जनपद-बहराइच के फार्म-ए/लाईसेंस पर यू0पी0 प्रिजनर्स रिलीज आन प्रोबेशन एक्ट, 1938 की धारा-2 के प्राविधानों के अन्तर्गत सम्यक् विचारोपरान्त उसे मुक्ति का पात्र नहीं पाया गया है। अतएव उक्त बन्दी की लाइसेन्स पर मुक्ति श्री राज्यपाल द्वारा अस्वीकार कर दी गयी है। तदनुसार उसके फार्म-ए/लाईसेंस पर शासन के आदेश अंकित करके एतद्वारा वापस लौटाया जा रहा है। कृपया प्राप्ति स्वीकार करते हुए शासन के निर्णय से बन्दी को तत्काल अवगत कराने का कष्ट करें।

संलग्नक: यथोपरि।

(बन्दी का फार्म-ए एवं समस्त पत्रादि सहित)

भवदीय,
कमलेश कुमार
उप सचिव।

संख्या-1280/2026/583(1)/22-2-2026 एवं तददिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- 1- जिला मजिस्ट्रेट, बहराइच।
- 2- वरिष्ठ अधीक्षक/अधीक्षक, आदर्श कारागार लखनऊ।
- 3- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,
अभय कुमार त्रिपाठी
अनु सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shasanadesh.up.gov.in> से सत्यापित की जा सकती है।

दिनांक: 29 सितम्बर, 2026 का संलग्नक

आदर्श कारागार लखनऊ में निरुद्ध सिद्धदोष बंदी महफूज आलम उर्फ वहीद पुत्र श्री अकबर अली उर्फ भगोले कुरैशी, पूर्वी गेट दरगाह शरीफ के पास मो0 दरगाह शरीफ, थाना-दरगाह शरीफ, जिला-बहराइच का निवासी है। गलत काम करने से मना करने को लेकर दिनांक 07.06.2011 को बन्दी ने दुपट्टे से हाथ पैर बांधकर पेट्रोल डालकर रोजी नामक महिला की आग लगाकर हत्या कर दी। उक्त अपराध हेतु सिद्धदोष बन्दी को सत्र परीक्षण संख्या- 219/2011, धारा-449, 326, 302 आई.पी.सी. में मा० विशेष न्यायाधीश ई०सी०एक्ट/अपर सत्र न्यायाधीश, बहराइच के आदेश दिनांक 29.05.2012 द्वारा आजीवन कारावास से दण्डित किया गया। मा० उच्च न्यायालय, इलाहाबाद के आदेश दिनांक 09.11.2017 द्वारा बंदी की अपील निर्णीत करते हुए आजीवन कारावास को यथावत रखा गया। बन्दी द्वारा दिनांक-10.07.2025 तक अपरिहार 14 वर्ष तथा 16 वर्ष, 11 माह, 03 दिन की सपरिहार सजा भोगी गयी है।

जिला प्रोबेशन अधिकारी, पुलिस अधीक्षक एवं जिला मजिस्ट्रेट, बहराइच द्वारा मा० उच्चतम न्यायालय द्वारा निर्दिष्ट 05 बिन्दुओं की आख्या में बंदी द्वारा किया गया अपराध सीमित अपराध की श्रेणी में नहीं होने, भविष्य में अपराध करने का अवसर होने, पुनः अपराध करने में अशक्त नहीं होने, जेल में और आगे निरुद्ध रखने का सार्थक प्रयोजन होने के दृष्टिगत समयपूर्व रिहाई की संस्तुति नहीं की गई है।

प्रोबेशन बोर्ड का अभिमत है कि बन्दी द्वारा गलत काम करने से मना करने को लेकर दिनांक 07.06.2011 को दुपट्टे से हाथ पैर बांधकर पेट्रोल डालकर रोजी नामक महिला की आग लगाकर हत्या करने का जघन्य अपराध कारित किया है। जिला प्रोबेशन अधिकारी, पुलिस अधीक्षक एवं जिला मजिस्ट्रेट द्वारा स्थानीय स्तर पर वर्तमान परिस्थितियों का सम्यक परीक्षण कर माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा निर्दिष्ट 05 बिन्दुओं की आख्या में समयपूर्व रिहाई का विरोध किया गया है। प्रकरण से सम्बंधित ऐसा कोई तथ्य परिलक्षित नहीं है, जिसके आधार पर जिला प्रोबेशन अधिकारी, पुलिस अधीक्षक तथा जिला मजिस्ट्रेट की आख्या/संस्तुति के प्रतिकूल अवधारणा बनाई जा सके। इस प्रकार बन्दी द्वारा किये गये अपराध की गम्भीरता एवं जघन्यता के दृष्टिगत प्रिजनर्स रिलीज आन प्रोबेशन एक्ट 1938 की धारा-2 के अन्तर्गत सिद्धदोष महफूज आलम उर्फ वहीद पुत्र श्री अकबर अली उर्फ भगोले कुरैशी को फार्म-ए/लाईसेंस के आधार पर रिहा किये जाने की संस्तुति नहीं की गयी।

उक्त के दृष्टिगत सम्यक् विचारोपरान्त श्री राज्यपाल द्वारा बंदी की फार्म-ए/लाईसेंस के आधार पर समयपूर्व रिहाई अस्वीकार कर दी गयी है।

कमलेश कुमार
उप सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shasanadesh.up.gov.in> से सत्यापित की जा सकती है।